www.researchvidyapith.com ISSN (Online): 3048-7331

Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal

(International Open Access, Peer-reviewed & Refereed Journal)

(Multidisciplinary, Monthly, Multilanguage)

*** Vol-2* *Issue-5* *May 2025***

वर्तमान में नक्सलवाद की स्थिति व निवारण के उपाय

डॉ0 सचिन कुमार

पी.एच.डी, इतिहास विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोध गया

सारांश

भारत में नक्सलवाद एक लम्बे समय से आंतरिक सुरक्षा की प्रमुख चुनौती बना हुआ है, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उपेक्षा के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह के रूप में विकसित हुआ। वर्तमान में यह आंदोलन मुख्यतः झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में सक्रिय है, जहाँ आदिवासी और वंचित समुदायों को सामाजिक–आर्थिक सुविधाओं से वंचित किया गया है। हालाँकि पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा सुरक्षा अभियानों में तेजी आई है, लेकिन नक्सलवाद की जड़ें केवल सैन्य दृष्टिकोण से समाप्त नहीं की जा सकतीं। नक्सलवाद की स्थिति को समझने के लिए उसके ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक पक्षों का सम्यक विश्लेषण आवश्यक है। कई बार यह देखा गया है कि सरकार और प्रशासन की योजनाएँ इन क्षेत्रों में ठीक से लागू नहीं होतीं, जिससे लोगों का असंतोष और अलगाव बढ़ता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार और रोजगार की कमी नक्सली विचारधारा को पनपने का अवसर देती है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन 'समाधान', 'ग्रीन हंट' जैसे अभियानों ने कुछ हद तक नियंत्रण किया है, लेकिन दीर्घकालिक समाधान के लिए केवल सुरक्षा नहीं, बल्कि पुनर्वास और समावेशी विकास अनिवार्य है। नक्सलवाद के निवारण के लिए बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है, जिसमें शिक्षा और रोजगार के अवसरों का विस्तार, आदिवासी संस्कृति का संरक्षण, पारदर्शी शासन, पुलिस सुधार, और स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही संवाद और विश्वास निर्माण की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह जरूरी है कि सरकार संघर्ष की भाषा को छोड़कर संवेदना की भाषा अपनाए। अंततः, नक्सलवाद को केवल सुरक्षा समस्या के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक अन्याय की अभिव्यक्ति के रूप में देखकर, उसके मूल कारणों को दूर करना ही स्थायी समाधान की ओर पहला कदम होगा।

मुख्य शब्द– नक्सलवाद, उग्रवाद, आदिवासी, विकास, सुरक्षा नीति, सशस्त्र संघर्ष, समाधान, सामाजिक न्याय।

परिचय–

नक्सलवाद की जड़ें 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी गांव में हुए किसान विद्रोह में निहित हैं। यह आंदोलन भूमि सुधारों की विफलता और सामाजिक–आर्थिक असमानताओं के खिलाफ एक सशस्त्र संघर्ष के रूप में उभरा। चारु मजूमदार, कानू सान्याल और जंगल संथाल जैसे नेताओं ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसका उद्देश्य भूमिहीन किसानों को भूमि का अधिकार दिलाना था। शुरुआत में, यह आंदोलन स्थानीय स्तर पर सीमित था, लेकिन जल्द ही यह बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में फैल गया। इस आंदोलन ने 1969 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, जिसने सशस्त्र संघर्ष को अपनी रणनीति का केंद्र बनाया। नक्सलवाद भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती बना हुआ है। यह आंदोलन मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में सक्रिय है, जहाँ सामाजिक–आर्थिक विकास की कमी, भूमि विवाद, और आदिवासी समुदायों की उपेक्षा जैसी समस्याएँ व्याप्त हैं। नक्सली समूहों द्वारा

की जाने वाली हिंसात्मक गतिविधियाँ, जैसे कि सुरक्षा बलों पर हमले, बुनियादी ढांचे की क्षति, और आम नागरिकों का उत्पीड़न, न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालती हैं, बल्कि विकास परियोजनाओं को भी बाधित करती हैं।[1] सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की तैनाती, विकास परियोजनाओं की शुरुआत, और संवाद की पहल जैसे विभिन्न उपाय किए हैं। हालांकि, इन प्रयासों की सफलता सीमित रही है, क्योंकि नक्सलवाद की जड़ें गहरी सामाजिक–आर्थिक असमानताओं में निहित हैं। इसलिए, नक्सलवाद के स्थायी समाधान के लिए एक समग्र रणनीति की आवश्यकता है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भूमि सुधार, और आदिवासी अधिकारों की सुरक्षा जैसे पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाए।

नक्सलवाद की वैचारिक नींव चीन की माओवादी विचारधारा से गहराई से प्रभावित है। माओ त्से–तुंग की 'लंबे समय तक चलने वाले जनयुद्ध' की रणनीति ने भारतीय कम्युनिस्ट नेताओं को प्रेरित किया, विशेषकर चारु मजूमदार को, जिन्होंने 'ऐतिहासिक आठ दस्तावेज़' लिखे। इन दस्तावेज़ों में उन्होंने भारतीय राज्य को 'अर्ध–साम्राज्यवादी' और 'अर्ध–सामंती' बताया, जिसे केवल सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से ही बदला जा सकता है। मजूमदार का मानना था कि भारत में क्रांति का नेतृत्व ग्रामीण किसानों को करना चाहिए, जैसा कि चीन में हुआ था। इस विचारधारा ने भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन में एक नई दिशा दी, जो पारंपरिक संसदीय मार्ग से हटकर सशस्त्र संघर्ष की ओर अग्रसर हुआ। 1946–51 के बीच तेलंगाना आंदोलन ने भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन को सशस्त्र संघर्ष की दिशा में प्रेरित किया। इस आंदोलन में किसानों ने ज़मींदारों के खिलाफ हथियार उठाए और भूमि सुधार की मांग की। हालांकि, 1951 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इस आंदोलन से पीछे हटने का निर्णय लिया, जिससे पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ा। यह असंतोष 1967 में नक्सलबाड़ी में हुए किसान विद्रोह के रूप में सामने आया, जहाँ चारु मजूमदार, कानू सान्याल और जंगल संथाल जैसे नेताओं ने सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व किया। नक्सलबाड़ी आंदोलन ने ब्व्;डद्ध से अलग होकर ब्व्;डस्द्ध की स्थापना की, जिसने माओवादी विचारधारा को अपनाया और सशस्त्र क्रांति की राह पर चल पड़ा।[2]

नक्सलवाद का पहला चरण 1967 से 1973 तक चला, जिसमें आंदोलन ने पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों में अपनी पकड़ बनाई। इस चरण में आंदोलन ने श्वर्ग शत्रुओंश के खिलाफ हिंसात्मक कार्रवाइयों को अंजाम दिया, जिसमें ज़मींदारों, पुलिस और सरकारी अधिकारियों को निशाना बनाया गया। सरकार ने इस विद्रोह को दबाने के लिए 'ऑपरेशन स्टेपलचेज़' जैसे सैन्य अभियानों की शुरुआत की, जिसमें सेना और अर्धसैनिक बलों की मदद से आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया। इस अभियान के दौरान कई नक्सली नेताओं की गिरफ्तारी और हत्या हुई, जिससे आंदोलन कमजोर पड़ा। हालांकि, आंदोलन की वैचारिक जड़ें और सामाजिक–आर्थिक असमानताओं के कारण यह पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ और विभिन्न रूपों में जारी रहा।[3]

वर्तमान स्थिति का विश्लेषण

भारत में नक्सलवाद का प्रभाव मुख्यतः 'रेड कॉरिडोर' नामक क्षेत्र में केंद्रित है, जो पूर्वी और मध्य भारत के कुछ राज्यों में फैला हुआ है। 2025 तक, यह क्षेत्र 18 जिलों में सिमट गया है, जो पहले 126 जिलों में फैला हुआ था। इन जिलों में छत्तीसगढ़ के बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा, कांकेर, ओडिशा के मलकानगिरी, कालाहांडी, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली, तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम, और आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू शामिल हैं। इन क्षेत्रों में नक्सलियों की गतिविधियाँ अधिक सक्रिय हैं, और ये क्षेत्र सुरक्षा बलों के लिए चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। नक्सली समूहों ने सुरक्षा बलों पर हमलों, जन अदालतों के आयोजन, और ग्रामीण क्षेत्रों पर नियंत्रण के माध्यम से अपनी उपस्थिति बनाए रखी है। जन अदालतों के माध्यम से वे स्थानीय विवादों का समाधान करते हैं और अपनी समानांतर न्याय प्रणाली स्थापित करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में वे सड़कें, स्कूल, और अन्य बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुँचाकर राज्य की उपस्थिति को कमजोर करते हैं। हालांकि, सुरक्षा बलों की सक्रियता और स्थानीय समुदायों की भागीदारी से इन गतिविधियों में कमी आई है।

पिछले कुछ वर्षों में नक्सलवाद से संबंधित घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है। 2024 में, नक्सली हिंसा की घटनाओं की संख्या 2010 की तुलना में 81 प्रतिशत कम हो गई है। सुरक्षा बलों पर हमलों और नागरिक हताहतों की संख्या में भी क्रमशः 73 प्रतिशत और 70 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। 2024 में, छत्तीसगढ़ में 237 नक्सली मारे गए, 812 गिरफ्तार हुए, और 723 ने आत्मसमर्पण किया। यह दर्शाता है कि सरकार की रणनीतियाँ, जैसे कि 'ऑपरेशन कागर' और पुनर्वास योजनाएँ, प्रभावी रही हैं।[4]

नक्सलवाद के प्रमुख कारण

भारत में नक्सलवाद की जड़ें गहराई से भूमि अधिकारों, विस्थापन और संसाधनों पर नियंत्रण की समस्याओं में निहित हैं। आदिवासी और दलित समुदायों को पारंपरिक रूप से अपनी भूमि और जंगलों पर अधिकार प्राप्त था, लेकिन औद्योगीकरण, खनन परियोजनाओं और विकास के नाम पर उन्हें बार–बार विस्थापित किया गया। इन समुदायों को उचित मुआवजा या पुनर्वास नहीं मिला, जिससे उनमें असंतोष और आक्रोश पनपा। सरकार की भूमि अधिग्रहण नीतियाँ और वन अधिकार अधिनियम जैसे कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन न होने के कारण, इन समुदायों को अपने ही संसाधनों से वंचित होना पड़ा। यह स्थिति नक्सलवादी विचारधारा के लिए उपजाऊ भूमि बन गई, जिसने इन समुदायों के बीच समर्थन प्राप्त किया। आदिवासी और दलित समुदायों को भारतीय समाज में ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रखा गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के क्षेत्रों में इनकी भागीदारी सीमित रही है। सरकारी योजनाओं और विकास परियोजनाओं का लाभ इन तक नहीं पहुँच पाया, जिससे इन समुदायों में असंतोष बढ़ा। नक्सलवादी आंदोलन ने इस असंतोष का लाभ उठाकर इन समुदायों को अपने साथ जोड़ा, उन्हें सशक्तिकरण और न्याय का वादा किया। इस प्रकार, सामाजिक और आर्थिक उपेक्षा ने नक्सलवाद को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अक्षमता और स्थानीय शासन की विफलता ने भी नक्सलवाद के प्रसार में योगदान दिया है। सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से नहीं हो पाया, और भ्रष्टाचार के कारण लाभार्थियों तक सहायता नहीं पहुँच सकी। स्थानीय प्रशासन की निष्क्रियता और जवाबदेही की कमी ने जनता का विश्वास खो दिया। इस शून्य को नक्सलियों ने भरने का प्रयास किया, उन्होंने अपनी समानांतर शासन व्यवस्था स्थापित की, जिसमें वे न्याय, सुरक्षा और बुनियादी सेवाएँ प्रदान करते हैं। इससे स्थानीय जनता का झुकाव नक्सलियों की ओर हुआ, और वे उन्हें अपने अधिकारों के संरक्षक के रूप में देखने लगे।[5]

राज्य की भूमिका और सुरक्षा रणनीति

2009 में भारत सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में माओवादी उग्रवाद से निपटने के लिए एक व्यापक सैन्य अभियान की शुरुआत की, जिसे मीडिया में 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' के नाम से जाना गया। हालाँकि सरकार ने इस नाम को औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया, लेकिन यह अभियान नक्सलियों के खिलाफ एक संगठित प्रयास था। इस अभियान के तहत केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों, जैसे कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, को बड़ी संख्या में तैनात किया गया। विशेष रूप से, कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन को माओवादी गतिविधियों से निपटने के लिए अग्रिम पंक्ति में रखा गया। इसके अलावा, भारतीय वायु सेना के डप्17 हेलीकॉप्टरों और ड्रोन का उपयोग निगरानी और समर्थन के लिए किया गया। इस अभियान का उद्देश्य नक्सलियों के गढ़ों को कमजोर करना और प्रभावित क्षेत्रों में स्थिरता स्थापित करना था। नक्सलवाद से निपटने में राज्य सरकारों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। हालांकि, विभिन्न राज्यों की नीतियों में समन्वय की कमी के कारण इस समस्या से प्रभावी ढंग से निपटना चुनौतीपूर्ण रहा है। कई बार केंद्र और राज्य सरकारों के बीच रणनीतियों में असंगति देखी गई है, जिससे संयुक्त अभियानों की प्रभावशीलता प्रभावित हुई है।[6] इसके अलावा, स्थानीय प्रशासन की अक्षमता और भ्रष्टाचार ने भी नक्सलियों को समर्थन प्राप्त करने में मदद की है। इसलिए, नक्सलवाद से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय और पारदर्शिता आवश्यक है।

नक्सलवाद से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पुलिस बलों का सशक्तिकरण और खुफिया तंत्र की मजबूती आवश्यक है। भारत में पुलिस बलों की संरचना और कार्यप्रणाली में सुधार की आवश्यकता है, ताकि वे आधुनिक चुनौतियों का सामना कर सकें। खुफिया एजेंसियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे नक्सलियों की गतिविधियों की निगरानी और पूर्वानुमान में मदद करती हैं। हालांकि, वर्तमान में खुफिया तंत्र में समन्वय की कमी और संसाधनों की अपर्याप्तता के कारण उनकी प्रभावशीलता सीमित है। इसलिए, पुलिस बलों के प्रशिक्षण, संसाधनों और खुफिया एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की आवश्यकता

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति अत्यंत चिंताजनक रही है। इन क्षेत्रों में लंबे समय तक उपेक्षा और संघर्ष के कारण बुनियादी सेवाओं की उपलब्धता सीमित रही है। हालांकि, हाल के वर्षों में सरकार ने इन क्षेत्रों में सुधार के लिए कई पहलें की हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने 'स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम

स्कूल योजना' के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कई स्कूल स्थापित किए हैं, जो विशेष रूप से आदिवासी और पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए हैं।[7] इसके अलावा, 'प्रयास आवासीय विद्यालय' जैसे संस्थानों के माध्यम से छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में, 'मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना' के तहत मोबाइल क्लिनिकों के माध्यम से दूरदराज़ के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचाई जा रही हैं। इन पहलों ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद की है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की कमी भी एक प्रमुख समस्या रही है। सड़क, संचार और बिजली जैसी सुविधाओं की अनुपलब्धता ने इन क्षेत्रों को मुख्यधारा से अलग–थलग कर दिया था। हालांकि, 'नक्सल मुक्त भारत अभियान' के तहत सरकार ने इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया है। सड़क नेटवर्क के विस्तार, मोबाइल कनेक्टिविटी और वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता के माध्यम से इन क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन पहलों ने न केवल स्थानीय लोगों की जीवन गुणवत्ता में सुधार किया है, बल्कि नक्सल गतिविधियों को भी सीमित करने में मदद की है।[8]

रोजगार की कमी और आर्थिक असमानता नक्सलवाद के प्रसार के प्रमुख कारणों में से एक रही है। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की 'मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना' के तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में पुलिस विभाग ने स्थानीय युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। इन पहलों ने न केवल युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है, बल्कि उन्हें नक्सल गतिविधियों से दूर रखने में भी मदद की है।

वैचारिक मोर्चा और नागरिक समाज की भूमिका

नक्सलवाद, भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती रहा है, जो केवल सैन्य उपायों से नहीं, बल्कि वैचारिक स्तर पर भी मुकाबले की मांग करता है। इस संघर्ष में नागरिक समाज, मीडिया, एनजीओ और मानवाधिकार संगठनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रचार–प्रसार और नक्सली विचारधारा के खंडन में सहायक होती है। नक्सली आंदोलन की विचारधारा, जो माओवाद पर आधारित है, हिंसा और सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन की बात करती है। हालांकि, यह दृष्टिकोण लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और संवैधानिक ढांचे के विपरीत है। नागरिक समाज ने इस विचारधारा का खंडन करते हुए लोकतंत्र, अहिंसा और संवाद के माध्यम से समस्याओं के समाधान की आवश्यकता पर बल दिया है। उदाहरणस्वरूप, 'कबीर कला मंच' जैसे सांस्कृतिक संगठनों ने गीत, कविता और नाटक के माध्यम से सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रचार किया है, हालांकि उन्हें भी सरकार द्वारा माओवादी सहानुभूति के आरोपों का सामना करना पड़ा है।[9]

मीडिया, एनजीओ और मानवाधिकार संगठन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे न केवल सरकारी नीतियों की निगरानी करते हैं, बल्कि स्थानीय समुदायों की समस्याओं को उजागर करके समाधान की दिशा में कार्य करते हैं। हालांकि, इन संगठनों को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उदाहरणस्वरूप, मानवाधिकार कार्यकर्ता डॉ. बिनायक सेन को नक्सलियों के साथ संबंधों के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिससे मानवाधिकार संगठनों की स्वतंत्रता पर प्रश्नचिह्न लगा । इसके अतिरिक्त, कई एनजीओ को विदेशी फंडिंग के नियमों के उल्लंघन के आरोप में उनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं, जिससे उनकी गतिविधियों पर प्रभाव पड़ा है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जन–जागरूकता अभियान और संवाद की प्रक्रिया अत्यंत आवश्यक है। स्थानीय समुदायों को सरकारी योजनाओं, उनके अधिकारों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देना नक्सलवाद के प्रभाव को कम करने में सहायक हो सकता है। एनजीओ और सामाजिक कार्यकर्ता इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, हालांकि उन्हें भी सरकार और नक्सलियों दोनों से दबाव का सामना करना पड़ता है।10 इसलिए, एक संतुलित और समावेशी दृष्टिकोण अपनाकर ही इस समस्या का समाधान संभव है।

समाधान एवं निवारण के उपाय

भारत में नक्सलवाद की समस्या केवल सुरक्षा का विषय नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक और

राजनीतिक पहलुओं से भी जुड़ी हुई है। अतः इसके समाधान के लिए एक समग्र नीति की आवश्यकता है, जो सुरक्षा, विकास और संवाद को एक साथ समाहित करे। नक्सलवाद से निपटने के लिए सरकार ने सुरक्षा, विकास और संवाद को मिलाकर एक समग्र नीति अपनाई है। इस नीति के तहत, सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ–साथ प्रभावित क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं को भी प्राथमिकता दी गई है। उदाहरणस्वरूप, छत्तीसगढ़ सरकार ने 'नियाद नेल्लनार' योजना के माध्यम से बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा शिविरों की स्थापना की है, जिससे आसपास के गांवों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है।11 इसके साथ ही, 'न्यू पीस प्रोसेस' जैसे नागरिक समाज के प्रयासों ने सरकार और नक्सलियों के बीच संवाद की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा और भूमि सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पंचायती राज (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 ;च्ै।द्ध और वन अधिकार अधिनियम, 2006 ;थ्त्।द्ध जैसे कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन से आदिवासियों को उनके पारंपरिक अधिकारों की पुनः प्राप्ति में मदद मिली है। उदाहरणस्वरूप, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में ग्राम सभाओं को बांस और तेंदूपत्ता जैसे लघु वनोपज पर अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है ।

नक्सल हिंसा के कारण विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास और समाज की मुख्यधारा में समावेश के लिए प्रभावी नीतियों की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ में 'बस्तर डायलॉग' जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से विस्थापित आदिवासियों की समस्याओं पर चर्चा की गई और उन्हें पुनः बसाने के प्रयास किए गए।12 इसके अतिरिक्त, सरकार ने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए पुनर्वास योजनाएं शुरू की हैं, जिससे वे समाज की मुख्यधारा में लौट सकें। नक्सलवाद की समस्या का समाधान केवल सुरक्षा उपायों से संभव नहीं है। इसके लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें सुरक्षा, विकास, संवाद, आदिवासी अधिकारों की रक्षा, भूमि सुधार, पुनर्वास नीति और समाज की मुख्यधारा में समावेश जैसे पहलुओं को समाहित किया जाए। केवल तभी हम इस समस्या का स्थायी समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

निष्कर्ष

भारत में नक्सलवाद की समस्या केवल कानून–व्यवस्था की चुनौती नहीं है, बल्कि यह गहरे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असंतुलनों का परिणाम है। इस आंदोलन की जड़ें उन क्षेत्रों में हैं जहाँ दशकों से गरीबी, भूमि अधिकारों की अनदेखी, आदिवासी समुदायों की उपेक्षा और विकास की कमी रही है। इसलिए, नक्सलवाद को केवल सुरक्षा बलों की कार्रवाई से समाप्त नहीं किया जा सकता; इसके लिए एक समन्वित और समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। नक्सलवाद की उत्पत्ति और विस्तार का मुख्य कारण सामाजिक और आर्थिक असमानता है। आदिवासी और दलित समुदायों को उनके पारंपरिक अधिकारों से वंचित किया गया, जिससे उनमें असंतोष और विद्रोह की भावना पनपी। भूमि सुधारों के असफल क्रियान्वयन और संसाधनों के अनुचित वितरण ने इस समस्या को और गंभीर बना दिया। नक्सलवाद के समाधान के लिए केवल सैन्य कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। इसके लिए सुरक्षा, विकास और संवाद को एक साथ मिलाकर एक समग्र नीति अपनानी होगी। नक्सलवाद की समस्या का स्थायी समाधान तभी संभव है जब लोकतंत्र को सशक्त बनाया जाए और विकास न्यायपूर्ण हो। आदिवासी और दलित समुदायों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना, उनके अधिकारों की रक्षा करना, और उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ना आवश्यक है। इसके लिए सरकार, नागरिक समाज, मीडिया और स्थानीय समुदायों को मिलकर कार्य करना होगा। नक्सलवाद की समस्या का समाधान केवल सुरक्षा बलों की कार्रवाई से संभव नहीं है। इसके लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाना होगा, जिसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास, और लोकतांत्रिक सहभागिता को प्राथमिकता दी जाए। केवल तभी हम इस दीर्घकालिक समस्या का स्थायी समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

संदर्भ सूची

1. शुक्ल, डॉ. कृष्णानंद, (2011), आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पृ. 132।
2. बनर्जी, सुमंता, (1980), इन द वेक ऑफ नक्सलबाड़ीः ए हिस्ट्री ऑफ द नक्सलाइट मूवमेंट इन इंडिया, सुबर्णरेखा, कोलकाता, पृ. 57।
3. वही, पृ. 59।
4. भारत सरकार, गृह मंत्रालय, (2025, अप्रैल 3), नक्सलमुक्त भारत अभियानरू रेड ज़ोन से विकास कॉरिडोर

की ओर, प्रेस सूचना ब्यूरो।

5. बसु, प. (2000)। नक्सलबाड़ी की ओर (1953–1967)– दल के अंदर वैचारिक संघर्ष का विवरण, प्रोग्रेसिव पब्लिशर्स, कोलकाता, पृ. 98।
6. सेठी, अमन, (2013, 6 फरवरी), ग्रीन हंटः एक अभियान की रूपरेखा, द हिंदू।
7. त्यागी महावीर सिंह 'छत्तीसगढ़ का एतिहास' राजीव प्रकाशन मेरठ, पृ. 19।
8. कुमार, आर. (2020). नक्सलवाद और विकासः एक सामाजिक अध्ययन. साहित्य निकेतन, दिल्ली पृ. 78–79.
9. देशपांडे, एस. (2014). विरोध की सांस्कृतिक राजनीति– कबीर कला मंच और प्रतिरोध का प्रदर्शन, इकनोमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 9(22), 12–13. मुंबई, समीक्षा ट्रस्ट।
10. डॉ. एस. दास (2011). माओइस्ट एण्ड नक्सलाइट पॉलिटिक्स इन इण्डिया, सुमित इन्टरप्राइजेज, दिल्ली पृ. 48.
11. अमर उजाला (2025, 2 अप्रैल), नियद नेल्लानार योजना से बदल रही बस्तर की तस्वीर; जहां कभी चलती थी गोली, अब चेहरे पर छायी मुस्कान।
12. गोल्ड, एस. (2018, 17 सितम्बर), उसी मार्ग पर शांति की खोज में पदयात्रा, जिससे माओवादी बस्तर में प्रवेश कर चुके थे, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस।

Cite this Article-

'डॉ0 सचिन कुमार', 'वर्तमान में नक्सलवाद की स्थिति व निवारण के उपाय', Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal (RVIMJ), ISSN: 3048-7331 (Online), Volume:2, Issue:05, May 2025.

Journal URL- https://www.researchvidyapith.com/

DOI- 10.70650/rvimj.2025v2i5007

Published Date- 06 May 2025